



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9433845

3/9/2022



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-06
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	6	पृष्ठ संख्या वर्तमान	25	थाना न.	126

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगान	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
33845	17710 /R27 2021 - 2022	साबलपुर/ 126	गोविन्दपुर	05/03/2022	By Sale Registration Deed 1608 Dated 23/03/2021	57	1	1098 57 1415 6.8 डिसमील	8	

क्रेता का नाम :

(1. श्री संजय चौहान पिता-श्री ललित चौहान, जाति-नोनिया, पता-
डैम कॉलोनी माटीगढ़ बाघमारा) एवं (2. श्री अजय प्रसाद
चौहान पिता-श्री ललित नोनिया, जाति-नोनिया, पता-डैम कॉलोनी
माटीगढ़ बाघमारा)

जमाबंदी रैयत का नाम :

श्री सुभाष चक्रवर्ती -पिता-श्री रामा नाथ चक्रवर्ती

विक्रेता का नाम :

श्री सुभाष चक्रवर्ती, पिता-स्व० रामा नाथ चक्रवर्ती, जाति-.....,
पता-भूलन बरारी जोरापोखर

राजस्व कर्मचारी हलका-06 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid



Digitally signed by

RAMJI VERMA

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Sanjay Chohan

Ajay Prasad Chohan

आदेश

तिथि
Mar 5 2022

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा साबलपुर थाना गोविन्दपुर

खाता प्लॉट रकबा
57 1415 0 एकड़, 6.8 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिकेता का नाम रिश्ता अभिभावक का नाम
श्री सुभाष चक्रवर्ती पिता स्व० रामा नाथ चक्रवर्ती

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री केवाला संख्या 1608 दिनांक MMd d yyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम रिश्ता अभिभावक का नाम
श्री सुभाष चक्रवर्ती पिता श्री रामा नाथ चक्रवर्ती

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दरखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अंनि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **8रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

युद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
RAMJI VERMA
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Banjey Chakhan

Mrs Bwanee Chakhan

